रजिस्ट्री सं० डी० 221

28/4/72

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 594] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 2, 1971/अग्रहायण 11, 1893

No. 594] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 2, 1971/AGRAHAYNA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd December 1971

S.O. 5358.—In exercise of the powers conferred by Section of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) 15th Amendment Order, 1971.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I, Part 'A' after item No. 34 the following shall be added:—

"Truck Tyres 900x20 size."

[No. E(C)Q, 1968/AM(66).]

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5358.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1971 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1, भाग 'ए' में मद सं० 34 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—

"35 ट्रक टायर्स साइज 900 × 20"

[संख्या० ई (सी) ओ, 1968/ए एम (66).]

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971.